<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।</u>

पीठासीनः रणंजय कुमार वर्मा (UP01908)..... एच०जे०एस०

<u>दाण्डिक निगरानी सं०- /2026</u>

सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व एक अन्य

.....

<u>08.06.2026</u>

1. पत्रावली प्रस्तुत। निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

2. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्तागण सत्येन्द्र कुमार सिंह व चार अन्य की ओर से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-139/2026 अरविन्द कुमार सिंह बनाम सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य में पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 04.05.2026 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है, जिसके द्वारा अवर न्यायालय ने विपक्षी सं०-2/आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को स्वीकृत किया है और सम्बन्धित थाना पुलिस को आदेशित किया है कि वह प्रार्थनापत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक प्राविधानों के अनुसार मामले की विवेचना करना सुनिश्चित करे।

3. सुना गया एवं अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया।

4. आलोच्य आदेश दिनाँकित 04.05.2026 के परिशीलन से स्पष्ट है कि अवर न्यायालय ने धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने हेतु आदेशित किया है। इस सन्दर्भ में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का विधि निर्णय **"फादर थामस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2011 (72) ए०सी०सी० 654"** महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है कि प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता (वर्तमान धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) को स्वीकार किए जाने के आदेश के बाद जब तक अभियुक्त को विचारण के लिए आहूत न किया जाए, तब तक निगरानी चलने योग्य नहीं होगा। इसीप्रकार माननीय न्यायालय ने **"श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2010(70) ए०सी०सी० 802"** के मामले में इस आशय का अभिमत व्यक्त किया है कि संभावित/प्रस्तावित अभियुक्त को धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता (वर्तमान धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध दाण्डिक निगरानी संधार्य नहीं है।

5. उपरोक्त विधि निर्णयों में अवधारित मत तथा मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस मत का है कि अवर न्यायालय द्वारा धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के स्वीकृति सम्बन्धी पारित आलोच्य आदेश के विरूद्ध प्रस्तावित अभियुक्त/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी संधार्य नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दाण्डिक निगरानी ग्राहयता के बिन्दु पर ही पोषणीय न होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता की तरफ से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही पोषणीय न होने के कारण निरस्त की जाती है। कार्यालय प्रयोजनार्थ प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

दिनाँकः 08.06.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।

Digitally signed by RANJANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.06.08 15:51:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court